न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :— 07/2023

उनवान

1. कमली देवी पत्नी जगदीश
2. कैलाश पुत्र भगवान सहाय
3. किस्तुरी पत्नी गिरधारी
4. गुल्ला पुत्र दयाल
5. प्रकाश पुत्र भगवान सहाय
6. बिदामी देवी पत्नी भगवान सहाय
7. भैरूलाल पुत्र लक्ष्मण
8. रामसिंह पुत्र गिरधारी
9. रोहिताश पुत्र जगदीश
10. विकास पुत्र भगवान सहाय
11. सजना पुत्री गिरधारी
12. सुरज पुत्र बीजा
13. मन्नी देवी पत्नी हनुमान
14. मुरलीधर पुत्र हनुमान
15. गणपत पुत्र हनुमान
16. फूलसिंह पुत्र हनुमान
17. हरिनारायण पुत्र हनुमान
18. संती पुत्री हनुमान
19. गोठी पुत्री हनुमान
20. अणची पुत्री हनुमान
21. हरफूल पुत्र जगदीश
22. हंसा देवी पुत्री भगवान सहाय

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

—वादीगण

बनाम

1. रमकी देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति जाट, निवासी श्याम कॉलोनी शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
2. जगदीश पुत्र नारायण, जाति जाट, निवासी श्याम कॉलोनी, शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)
3. राजस्वान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस व स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक19.2.2025

1. यह. कि हाल आराजी खसरा नं0–4691/0.28, 4692/0.15, 4693/0.59, 4694/0.03 कुल किता–4 रकबा 1.05 है० वाकै ग्राम–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जिसकी वर्तमान खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज है खातेदार हनुमान पुत्र दयाल का देहान्त हो चुका है जिसके वादीगण सं0–13 लगायत 20 विधिक वारिस है। जमाबंदी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–166 वाकै ग्राम–शाहपुरा संलग्न वाद पत्र पेश है।
2. यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में दर्ज भूमि हाल खसरा नं0–4691. 4692, 4693, 4694 के पश्चिम दिशा में हाल खसरा नं0–4690, 4689 की भमि स्थित रही है वर्तमान में हाल खसरा नं0–4690 के नये नं0–4690/1, 4690/2 हाल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस में दर्ज है।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

3 यहकि उक्त हाल खसरा नं0–4691, 4692, 4693, 4694 साबिका खसरा नं0–3386 वाकै ग्राम–शाहपुरा से हाल सेटिलमेन्ट में कायम किये गये है इसी प्रकार उक्त हाल खसरा नं0–4690, 4689 साबिका खसरा नं0–3282, 3283, 3284 वाकै ग्राम–शाहपुरा से हाल सेटिलमेन्ट में कायम किये गये है।

4 यह कि उक्त हाल खसरा नं0–4691, 4692, 4693, 4694 व 4690, 4689 का हाल नक्शा ट्रेस साबिका की तुलना में सेटलमेन्ट कर्मचारीयोव अधिकारीयो ने परिवर्तित कर दिया है। जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं था हाल नक्शा में खसरा नं0–4690 का पूर्वी सीरा हाल खसरा नं0–4691 की ओर बढ़ा दिया है जिसमें हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नं0–4690 का एरिया बढ़ गया है उक्त हाल खसरा नं0–4690 के वर्तमान में तकासमा होने के बाद नये नम्बर 4690/1, 4690/2 कायम किये गये है।

5 यहकि सेटलमेन्ट कर्मचारीयो व अधिकारो को बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व निर्णय के साबिक खसरा नम्बरान का नये नम्बरो में एरिया बढ़ाने व घटाने का कोई हक अधिकार नही था किन्तु इसके बावजदू सेटलमेन्ट कर्मचारीयो ने उक्त साबिका खसरा नं0–3282, 3283, 3284 के नये नम्बर–4690 का एरिया बढाकर वादी के खेत हाल खसरा नं0–4691 की ओर बढ़ा दिया है जबकि आज भी मौके पर उक्त हाल खसरा नं0–4690 (हाल नम्बर 4690/1, 4690/2) की व 4691 की डोल सीमा साबिका खसरा नं0–3284, 3886 के मुताबिक ही लगभग सीधी सीधी है किन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में हाल खसरा नं0–4690 व 4691 की डोल सीमा सीधी नही होकर पूर्वी दिशा में खसरा नं0–4691 की तरफ दब रही है इस प्रकार साबिका नक्शा व हल नक्शा को प्रथम दृष्ट्या देखने मात्र से ही नक्शा में अन्तर स्पष्ट दिख जाता है।

6 यहकि वर्तमान में उक्त हाल खसरा नं0–4690/1, 4690/2 (पुराने नं0–4690) व 4691 के पास से होकर 40 फुट रोड निकल जाने से प्रतिवादी के मन में बेईमानी व लालच पैदा हो गया है, तथा हाल नक्शा ट्रेस में व मौके पर स्थित डोल में अन्तर हो जाने से प्रतिवादीगण नक्शे को आधार मानकर वादीगण के खेत हाल खसरा नं0–4691 की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा फिसाद हो गये है इस बात को लेकर वाद विवाद हो जाने से वादीगण ने पुराना नक्शा व नया नक्शा व राजस्व रिकार्ड प्राप्त कर प्रतिवादी को वास्तविकता से रूबरू कराया तो प्रतिवादी ने मान लिया कि हाल सेटलमेन्ट से राजस्व व सेटलमेन्ट कर्मचारीयो की गलती से नये नक्शे में साबिक की तुलना में अन्तर आ गया इस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को तहसील में चलकर राजस्व नक्शा दुरुस्त कराने के लिए हामी भी दी तथा फुर्सत मिलते ही नक्शा दुरूस्ती हेतु कहा दिया।

7 यहकि अर्सा दो दिन पूर्व वादी विकास वगै० ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड नक्शा दुरूस्ती हेतु तहसील में चलने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण एकदम से उग्र हो गये तथा एलानियाँ कह दिया कि हम कोई नक्शा दुरूस्त नहीं करवायेगे तथा हाल नक्शा के मुताबिक ही एक दो दिन में तुम्हारी भूमि हाल खसरा नं0–4691 पर कब्जा करेगे तुम्हे जो करना है वो कर लेना। इसलिए वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

8 यहकि यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मसूबो में सफल हो जावेगे तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में किसी भी तरह से सम्भन नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इसलिए न्यायहित में उक्त विवादित भूमि हाल खसरा नं0–4690/1, 4690/2, 4691, 4692, 4693, 4694 का हाल नक्शो को साबिक खसरा नं0–3282, 3283, 3284 व 3386 के मुताबिक दुरूस्त करवाया जाकर प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के हाल खसरा नं0–4691, 4692, 4693, 4694 की भूमि के किसी भी भु–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे, वादीगण को 'शाति पूनक काबिज रहकर काश्त करने देवे तथा किसी तरह की कोई बेजा दखलदांजी पैदा नहीं करे।

9 यहकि प्रतिवादी सं०–3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पक्षकार मुकदमा है कानूनन राज्य सरकार के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु उक्त प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा नोटिस की अवधि के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर खुर्द बुर्द किये जाने का पुरा पुरा अन्देशा हैं, इसलिए धारा–80 (2) सीपीसी के तहत अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर नोटिस दिये जाने से छुट प्राप्त कर दावा दायर करने की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

10 यह कि राजस्थान सरकार भूमिधारी है इसलिये जरिये तहसीलदार पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।
अतः बाद पत्र मयशपथ पत्र पेशकर निवेदन हे कि एक डिकी बहक चादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की प्रदान की जावे कि–हाल खसरा नं0–4689, 4690 (नये खसरा नं0–4690/1, 4690/2), 4691, 4692, 4693, 4694 का हाल नक्शा साबिक खसरा नं0–3282, 3283, 3284, 3386 वाकै ग्राम–शाहपुरा के मुताबिक दुरूस्त किया जावे, एवं प्रतिवादीगण उनके

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)

नौकर, एजेन्ट, वारिसान आदि को हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की भूमि हाल खसरा नं0–4691, 4692, 4693, 4694 वाकै ग्राम–शाहपुरा के किसी भी भू–भाग पर जबरन कब्जा नहीं करे वादीगण को शांति पूर्वक काबज रहकर काश्त करने देवे तथा किसी तरह की कोई दखलदाजी पैदा नहीं करे वादीगण की भूमि पर किसी तरह का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे।

वादपत्र पेश होने विधिवत रिपोर्ट ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । दिनांक 14.08.2024 को प्रतिवादी सं0 1 लगा0 2 की तामिल हो चुकी है जो बावजूद तामील व सूचना के उपस्थित नही जिनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार शाहपुरा के पत्र कमांक/भू0अ0/2024/2349 दिनांक द्वारा रिपोर्ट पेश की रिपोर्ट अनुसार ग्राम शाहपुरा ए के आ0ख0न0 4691, 4692, 4693, 4694 दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ग्राम शाहपुरा के आ0ख0न0 4691, 4692, 4693, 4694 के साबिक ख0न0 3386 है व हाल ख0न0 4689 व 4690 का साबिक ख0न0 3282, 3283, 3284 है। हाल नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस का मिलान करने पर पाया गया कि ख0न0 4691, 4692, 4693, 4694 का ज़माबंदी में रकबा 1.05 है जबकि वर्तमान में राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नम्बरान की रकबा बरारी करने पर इनका रकबा 1.00 है0 आता है एवं ख0न0 4690/2 का जमाबंदी के अनुसार रकबा 1.03 है0 जबकि राजस्व नक्शे में रकबा बरारी करने पर 1.08 है0 आता है। इस प्रकार पुराने नक्शे, वर्तमान नक्शे व मौके के अनुसार ख0न0 4691 व 4690/2 के मध्य की लाइन को ख0न0 4691 में 0.05 है0 रकबा बढाते हुए व 4690/2 में से 0.05 है0 रकबा कम करते हुए पश्चिमी दिशा में खिसकाकर शुद्व किया जाना उचित है। दिनांक 08.11.2024 को साक्ष्यवादी में विकास वादी का शपथ पत्र मुख्य परीक्षण पेश किया तथा दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श 1,2 3 जमाबंदी सम्वत 2074–77 खाता संख्या 166, 288, 790 प्रदर्श 4 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 5 साबिक नक्शा, प्रदर्श 6 कार्यालय तहसीलदार शाहपुरा रिपोर्ट, प्रदर्श 7 पटवारी हल्का रिपोर्ट, प्रदर्श 8 व 9 नक्शा ट्रेस पेश किये गये। गवाह के बयान लेखबद्व किये गये जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस का मनन किया । विवादित हाल आराजी खसरा नं0–4691/0.28, 4692/0.15, 4693/0.59, 4694/0.03 कुल किता–4 रकबा 1.05 है० वाकै ग्राम–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर का हाल नक्शा साबिका ख0न0 3282, 3283, 3284, 3386 वाकै ग्राम शाहपुरा के मुताबिक दावा डिकी किया जाकर पुराने नक्शे वर्तमान नक्शे के अनुसार ख0न0 4691 व 4690/2 के मध्य की लाइन को ख0न0 4691 में 0.05 है0 रकबा बढाते हुये व 4690/2 में से 0.05 है0 रकबा कम करते हुये पश्चिम दिशा में खीसकाकर शुद्व किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः दावा वादी के हक में डिकी किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा नं0–4691/0.28, 4692/0.15, 4693/0.59, 4694/0.03 कुल किता–4 रकबा 1.05 है० वाकै ग्राम–शाहपुरा, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर का हाल नक्शा साबिका ख0न0 3282, 3283, 3284, 3386 वाकै ग्राम शाहपुरा के मुताबिक दावा डिकी किया जाकर पुराने नक्शे वर्तमान नक्शे के अनुसार ख0न0 4691 व 4690/2 के मध्य की लाइन को ख0न0 4691 में 0.05 है0 रकबा बढाते हुये व 4690/2 में से 0.05 है0 रकबा कम करते हुये पश्चिम दिशा में खीसकाकर शुद्व किया जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व नक्शे में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है। तथा वादीगण की भूमि ख0न0 4691, 4692, 4693, 4694 पर किसी भू भाग पर जबरन कब्जा नही करे वादीगण को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे तथा किसी तरह की कोई दखलदाजी पैदा नही करे वादीगण की भूमि पर किसी तरह का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे। पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक **19.2.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)